आवास बन्धु
आवास एवं शहरी नियोजन विभाग
उ0प्र0शासन

दूरभाषः : 0522–2284880, 2627021,
फैक्सः 0522–2612098
E-mail: awasbandhu@gmail.com
website:http://www.awas.up.nic.in

संख्याः 999 / आ0ब0–1 / स0आ0यो0–डी.पी.आर. / 2016 लखनऊ दिनाँकः 30 नवम्बर, 2016

प्रेषक,

एस0 के0 श्रीवास्तव,
निदेशक,
आवास बन्धु, उ0प्र0।

सेवा में,

उपाध्यक्ष,
वाराणसी विकास प्राधिकरण,
वाराणसी।

विषयः अफोर्डेबल हाउसिंग नीति के अन्तर्गत "समाजवादी आवास योजना" हेतु M/S Shree Sai Baba Infra Projects Pvt. Ltd. द्वारा प्रस्तुत परियोजना "SAI GAON" की सैद्धान्तिक स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

समाजवादी आवास योजना के अन्तर्गत **M/S Shree Sai Baba Infra Projects Pvt. Ltd.** द्वारा वाराणसी विकास क्षेत्र के ग्राम–लुच्चेपुर, परगना–अठगवॉं, तहसील–पिण्डरा, जिला–वाराणसी के खसरा नम्बर–245 पार्ट, 247 पार्ट, 258 पार्ट, 304 पार्ट, 305 पार्ट, 306 पार्ट, 301, 303 पार्ट एवं खसरा नम्बर–302 (ग्राम सभा की भूमि को सम्मिलित करते हुए एवं इसके स्थान पर खसरा नम्बर–432/1, 301 व 303 में उतनी ही भूमि छोड़ते हुए) कुल क्षेत्र 10,563.364 वर्गमीटर पर "**SAI GAON**" नामक परियोजना आवास बन्धु, उत्तर प्रदेश में प्रस्तुत की गयी थी। सम्बन्धित योजना को समाजवादी आवास योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या–74 / 3492 / आठ–1–14–34बैठक / 14 दिनांक 12.12.2014, शासनादेश संख्या–12 / 2016 / 119 / आठ–1–16–34बैठक / 2014 दिनांक 12 जनवरी, 2016 तथा शासनादेश संख्या–13 / 2016 / 120 / आठ–1–16–34बैठक / 2014 दिनांक 12.01.2016 के अनुपालन में परीक्षण करने के उपरान्त उत्तर प्रदेश शासन द्वारा दिनांक 17.11.2016 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की गयी है :–

1. शासन के अनुमोदन के पश्चात विकासकर्ता द्वारा उ0प्र0 नगर योजना विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत सम्बन्धित विकास प्राधिकरण से परियोजना मानचित्र की औपचारिक स्वीकृत प्राप्त करनी होगी।

2. परियोजना से सम्बन्धित समस्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र विकासकर्ता द्वारा परियोजना स्वीकृति हेतु सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

3. परियोजना के स्ट्रक्चरल डिजाइन एवं सेफ्टी हेतु प्रमाण–पत्र सम्बन्धित विकास प्राधिकरण में प्रस्तुत करना होगा।

4. समाजवादी आवास योजना की नीति निर्देशिका (अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नीति का निर्धारण) के धारा–8 के सभी उपबन्धों का अनुपालन विकासकर्ता द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाना होगा।

5. योजना के विकास एवं निर्माण कार्य अनुमोदित डी.पी.आर. के अनुसार समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करने हेतु विकासकर्ता द्वारा ले–आउट प्लान की स्वीकृति के समय प्रचलित नियमों के अनुसार सम्बन्धित शासकीय अभिकरण के साथ 'डेवल्पमेन्ट एग्रीमेन्ट' एवं 'परफार्मेन्स गारन्टी' का निष्पादन किया जाएगा।

VK Sir

क्रमशः 2